

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक: 138 / परीक्षा / एम०एस०यू० / 2022-23

दिनांक: 25.08.2022

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के पत्रांक 1255 / परीक्षा / एम०एस०यू० / 2022-23 दिनांक 25.08.22 का संदर्भ ग्रहण करे। जो कि परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किये जाने हेतु उडाका दल के गठन से सम्बन्धित था। मा० कुलपति जी द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय की सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर / व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की द्वितीय सेमेस्टर (जून-2022) परीक्षा को नकल विहीन समपन्न कराये जाने के उद्देश्य से सन्दर्भित परीक्षाओं की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार विशेष उडाका दल का पुर्नगठन किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 08.09.22 से प्रभावी माना जाये।

उडाका दल

1-डॉ० ब्रह्मपाल सिंह, जे०वी० जैन कॉलेज, सहारनपुर (9411298482)	- सहसंयोजक
2-डॉ० दीपा चौहान, एम० एस० कॉलेज, सहारनपुर, 9411295751	- सदस्य
3-डॉ० संजय मौर्य, जे०वी० जैन कॉलेज, सहारनपुर (9411484114)	- सदस्य
04 डॉ० निर्भय सिंह, वी०वी० कॉलेज, शामली (8129392464)	- सदस्य
05-डॉ० प्रभात कुमार सिंह, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर, 8739000451, 8299233946	- सदस्य

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विशेष उडाका दल डॉ० चन्द्र शेखर, परीक्षा समन्वयक, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर के संयोजकत्व में (दिशा निर्देशानुसार) औचक निरीक्षण का कार्य सम्पादित करेगा। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार टैक्सी तथा पारिश्रमिक देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा समन्वयक
3. सचिव वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
4. सचिव परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पर्यवेक्षकों को सन्दर्भित परीक्षाओं की समाप्ति तक तत्काल कार्य मुक्त करने का कष्ट करें।
6. प्रभारी- अति गोपनीय विभाग
7. प्रभारी- परीक्षा विभाग
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट को इस आशय से कि सन्दर्भित आदेश को वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव